शब्बीर हुसैन V/s इकबाल मौ. बेग.

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 pm हो चुका है। न्यायहित में वादी एवं वादी अधिवक्ता को पुनः एक बार आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नकल से कम हो।

19/12/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शब्बीर हुसैन पुत्र स्व0 महबूब शाह जाति मेवाती मुस्लमान उम्र 76 वर्ष निवासी बंजरंगपुरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. इकबाल मोहम्मद पिता हुसैन अली जाति मुस्लमान आयु 50 साल निवासी नई आबादी, नूरानी मस्जिद के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रकरण संख्या 261 / 2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 19.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

19/12/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा